

बिहार सरकार

विधि विभाग

## ॥ अधिसूचना ॥

एस0ओ0.....पटना, दिनांक-.....

विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3324/जे0 दिनांक:-07.09.2000 के द्वारा गठित बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा को अधिसूचना संख्या:-सं0सं0-ए0/ए0बी0-01/2006-5353/जे0. दिनांक:-24.12.2009 द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसका अवधि अधिसूचना संख्या:-7001/जे0. दिनांक:-19.09.2012 द्वारा दिनांक:-07.09.2012 से अगले तीन वर्ष तक के लिये विस्तारित की गयी ।

पुनः अधिसूचना संख्या:-ए0/ए0बी0-01/2006-5635/जे0. दिनांक:-03.09.2015 द्वारा दिनांक:-07.09.2015 से अगले तीन वर्ष के लिए विस्तारित अवधि तक के लिए न्यायमूर्ति श्री अभिजीत सिन्हा, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना को, पूर्व शर्तों पर ही, बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है।

संचिका संख्या-ए0/ए0बी0-01/06...../जे0.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-अखिलेश कुमार जैन

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/06-...../जे0., पटना. दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-उपसचिव, प्रभारी ई-गजट कोषांग, बिहार, पटना को सी0.डी0. प्रति(सॉफ्ट कॉपी) के साथ अग्रसारित करते हुए अनुरोध है कि आगामी असाधारण गजट में इसे प्रकाशित कर इसकी 100(एक सौ) प्रतियाँ विधि विभाग को शीघ्र उपलब्ध करावें।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/06-...../जे0., पटना. दिनांक:-.....


प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक-ए0/ए0बी0-01/06-<sup>5636</sup>...../जे0., पटना. दिनांक:-<sup>03-09-15</sup>.....

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/अवर सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक:-01.09.2015 में मद संख्या:-31 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।  
०३/०९/१५